

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 80/14

संस्थापन दिनांक:-10/02/14

फाईलिंग नं. 233504005102014

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

**वि रु द्ध**

सोनू पिता धनराज बसदेवा  
उम्र 26 वर्ष, निवासी टांडा जम्बाड़ी खुर्द,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 07.10.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 01.02.2014 को 08:00 बजे या उसके लगभग ग्राम जम्बाड़ी खुर्द टांडा जोड़ मेन रोड जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 14 इंच चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 01.02.2014 को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह को ग्राम जम्बाड़ी खुर्द में जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जम्बाड़ी से टांडा जोड़ के पास मेन रोड पर हाथ में धारदार छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षीगण के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में धारदार छुरी लिये मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा एवं अभियुक्त द्वारा कागजात पेश न करने पर अभियुक्त के कब्जे से गवाहों के समक्ष एक लोहे की धारदार छुरी जप्त की तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 89/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.02.2014 को 08:00 बजे या उसके लगभग ग्राम जम्बाड़ी खुर्द टांडा जोड़ मेन रोड जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 14 इंच चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया?”

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

5 बिसनसिंह (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 01.02.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए ग्राम भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के जम्बाड़ी खुर्द टांडा जोड़ पर जाना बताया है जहां उसे अभियुक्त सोनू हाथ में छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डराते धमकाते मिला, जिससे लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) तैयार किया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक बनाया था। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्रमांक 89/14 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए की छुरी को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त की थी।

6 कैलाश (अ.सा.-1) ने उसके समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं गिरफ्तारी से इनकार करते हुए जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपने हस्ताक्षर से इनकार किया है। साक्षी जियालाल (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रकट किया कि प्रकरण में किसी

भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। एकमात्र पुलिस अधिकारी जिसके स्वयं के कथनों पर विरोधाभास है उसके एकमात्र कथन के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

8 बचाव पक्ष के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि यह सही है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी कैलाश (अ.सा.-1) एवं जियालाल (अ.सा.-3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र बिसनसिंह (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः तर्क के परिप्रेक्ष्य में विवेचक बिसनसिंह की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 बिसनसिंह (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना प्राप्त होने पर ग्राम जम्बाड़ी में हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ पहुंचना तथा मौके पर अभियुक्त के हाथ में से लोहे की धारदार छुरी जप्त करना, उसे गिरफ्तार करना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 3 में उक्त साक्षी ने यह सही होना बताया है कि प्रकरण में रवानगी का सान्हा उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा इसी पैरा में जप्तशुदा आयुध की नाप इंची टेप से किया जाना बताया है तथा पैरा क. 04 में प्रथम सूचना रिपोर्ट की कंडिका 3 'स' में रोजनामचा क्रमांक के आगे सफेदा लगाकर ओव्हर राईटिंग करना बताया है।

10 जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में जप्तशुदा आयुध गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद किया जाना लेख है परंतु किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। निश्चायक रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता कि जप्तशुदा आयुध की नाप इंची टेप से की गयी हो क्योंकि जप्ती पत्रक में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में जप्ती का समय सुबह 08:00 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) में गिरफ्तारी का समय 08:10 बजे लेख है। मात्र 10 मिनट में अभियुक्त से आयुध का जप्त करना, उसे मौके पर सीलबंद करना यद्यपि असंभव नहीं परंतु अस्वाभाविक अवश्य है। जप्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त दस्तावेज थाने में बनाये गये होंगे। साथ ही अभियोजन के द्वारा रवानगी रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौके पर जप्तशुदा आयुध सीलबंद किया गया हो ऐसा विवेचक बिसनसिंह (अ.सा.-2) के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में एकमात्र विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-2) के कथनों पर विश्वास कर अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 01.02.2014 को 08:00 बजे या उसके लगभग ग्राम जम्बाड़ी खुर्द टांडा जोड़ मेन रोड जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 14 इंच चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त सोनू को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत तोड़कर नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)